**UPGK**010063992026

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट सं0 2, गोरखपुर।**
**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2866/2025**

विसम्भर केवट पुत्र स्व0 मुनेश्वर, उम्र लगभग 76 वर्ष, निवासी ग्राम नरकटवा टोला रजही, थाना पनियरा, जिला महराजगंज।।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....**विपक्षी**

मुकदमा अपराध संख्या–475/2023
धारा–419,420,467,468,471,506 भा0दं0संहिता
थाना–चिलुआताल , जनपद–गोरखपुर।

**दिनांक–10.07.2026**

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त विसम्भर केवट की ओर से मु०अ०सं० 475/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं०, थाना–चिलुआताल, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया तथा साथ में अपर सिविल जज (सी0डी0) द्वितीय/अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जमानत खारिजी आदेश दिनांकित 10.06.2026 की सत्यप्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रामगुलाम का कृषि भूमि आराजी नम्बर 95 ख रकबा 0–40 हेक्टेयर आराजी नम्बर 74 क रकबा 0–200 हेक्टे० आराजी संख्या 412 क रकबा 0–50 हेक्टे० ग्राम ताल जहदा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर में स्थित है। वह दिनांक 13.03.2022 को समय 10:45 बजे दिन में अपने ताल जहदा स्थित खेत में जिसमे गेंहू काश्त किया है, देखने गया था वह अपने खेत के मेड़ी पर 3 बाहरी आदमियों को देखा तो वह उनके बारे में जानना चाहा तो एक शख्स ने अपना नाम बलवन्त सिंह और अन्य लोगों को अपना सहयोगी बताया उसने यह भी बताया कि मैंने रामपुर गोपालपुर के रामगुलाम पुत्र रमई, रामकेश पुत्र स्व० बदल व विभूति पुत्र मतई का बैनामा कराया है, उन्हीं का खेत देख रहा हूँ। वादी ने कहा रामगुलाम तो मैं हूँ मैंने तो अपना खेत नहीं बेचा हूँ रामकेश हमारे गाँव के दामाद थे उनकी मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है उनका बैनामा कैसे ले लिये हो बस इसी बात पर मुल्जिम बलवन्त सिंह ने कहा कि साले पसीकट की जाति यहां से भाग जाओं नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दूँगा तुमसे मैं अब बैनामा ले चुका हूँ आईन्दा इस खेत पर मत आना उसी वक्त स्व० रामकेश की पत्नी जो उसके गांव की लड़की है गलुरा देवी अपने लड़के सुरेन्द्र के साथ अपना खेत देखने आई वादी ने कहा कि यह आदमी पता नहीं कहा का है तुम्हारे मरे हुये पति से बैनामा लिखाने की बात कर रहा है जब मलुरा देवी व उनके बेटे सुरेन्द्र ने इसका विरोध किया तो मुल्जिमान उन्हें भी गाली गुप्ता दिये। वह कचहरी गया और कचहरी से कागजात निकलवाया तो पता चला कि मुल्जिम बलवन्त सिंह ने पुत्र साधु प्रसाद एवं सचिन राजन कुमार पुत्र श्री मुरारी प्रसाद निवासी ग्राम तिनहरा खुर्द थाना गीडा जनपद गोरखपुर के गवाही से उसका व स्व रामकेश पुत्र स्व० बदल का तथा विभूति पुत्र स्व० मतई का सम्पूर्ण आराजियात रकबा 0–875 हेक्टे0 एक ही

बैनामा से दिनाक 08.03.2022 को विक्रेता के जगह दीगर शख्स को खड़ा करके उनका फोटो और फर्जी आधार कार्ड के सहयोग से फर्जी बैनामा करा लिया।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन मुकदमे में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्र0सू0रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है व प्र0सू0रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना 2022 की बतायी जा रही है, जबकि प्र0सू0रिपोर्ट 2023 में दर्ज करायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि खूब सोच समझकर विधिक राय लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिस बैनामे को लेकर यह प्र0सू0रिपोर्ट दर्ज कराया गया है उक्त बैनामें में आवेदक/अभियुक्त न तो विक्रेता है, न ही गवाह है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, जिससे आवेदक/अभियुक्त के ऊपर 419,420,467,468,471 का अपराध बनता ही नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने किसी को जान से मारने की धमकी भी नहीं दी है, जिससे आवेदक/अभियुक्त के ऊपर धारा 506 का अपराध भी नहीं बनता है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कुछ अन्य कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए निरस्त किये जाने का कथन किया गया।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना व केस डायरी तथा संबंधित थाने द्वारा भेजी गयी आख्या का अवलोकन किया।

उपलब्ध केसडायरी एवं संलग्न अभियोजन प्रपत्रों से दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा राम गुलाम तथा मृतक रामकेश एवं विभूति की कृषि योग्य भूमि को उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को खड़ा करके उनका फोटो और फर्जी आधार कार्ड लगाकर धोखाधड़ी व कूटरचित प्रपत्र तैयार कर फर्जी तरीके से गवाही कराकर बैनामा कराए जाने का गंभीर अभिकथन है। दौरान विवेचना विवेचक के समक्ष दिए गए कथन अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0संहिता में वादी मुकदमा के द्वारा तहरीर एवं प्राथमिकी में उल्लेखित तथ्यों का समर्थन किया गया है। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त प्र0सू0रिपोर्ट में नामित नहीं है, परंतु विवेचक द्वारा दौरान विवेचना कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका एवं भागिता मानते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा सभ्य समाज के लिए अत्यंत ही चिंतनीय है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किए जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवं विचारण का विषय है।

सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों अपराध की गंभीरता तथा अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका एवं भागिता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर अपनी कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना मैं इस मत का हूँ कि आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किए जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त विसम्भर केवट की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

{सिद्धार्थ सिंह}
अपर सत्र न्यायाधीश,विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)
न्यायालय संख्या–2,गोरखपुर।
*I.D.No. : UP6318*

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.07.13 12:34:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court